

अध्याय 07: संघ कार्यपालिका — राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद — शॉर्ट नोट्स

1. राष्ट्रपति: संवैधानिक स्थिति एवं वैश्विक तुलना (अनुच्छेद 52 एवं 53)

प्रावधान / आयाम	संवैधानिक स्थिति एवं विधिक विश्लेषण
संवैधानिक पद (अनु. 52)	भारत का एक राष्ट्रपति होगा; वह भारत गणराज्य का राष्ट्रप्रमुख (Head of State) तथा देश का प्रथम नागरिक है
कार्यपालिका शक्ति (अनु. 53)	संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा
नाममात्र बनाम वास्तविक प्रमुख	राष्ट्रपति केवल संवैधानिक/नाममात्र का प्रमुख (De Jure Head) है; वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद में निहित है
वैश्विक तुलना (भारत बनाम यूके व यूएसए)	ब्रिटेन के वंशानुगत सम्राट के विपरीत भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित (गणतंत्र) होता है; यूएसए के अध्यक्षात्मक शासन के विपरीत भारत में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है

2. निर्वाचक मंडल (Electoral College — अनुच्छेद 54)

निर्वाचक मंडल की संरचना	शामिल होने वाले सदस्य	शामिल न होने वाले सदस्य (मतदान से वंचित)
संसद के सदस्य	संसद के दोनों सदनों (लोकसभा + राज्यसभा) के केवल निर्वाचित सदस्य	संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य (Nominated Members)
राज्य विधानमंडल	सभी राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य (MLAs)	विधान परिषदों (MLC) के सभी सदस्य (निर्वाचित व मनोनीत दोनों)
संघ राज्य क्षेत्र (UTs)	दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (70वें संशोधन 1992 द्वारा)	दिल्ली, पुदुचेरी व अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के मनोनीत सदस्य

3. मत मूल्य सूत्र एवं निर्वाचन पद्धति (अनुच्छेद 55)

निर्वाचन के नियम	विधिक सूत्र / प्रक्रिया एवं निर्धारित संवैधानिक व्यवस्था
निर्वाचन पद्धति	आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) तथा गुप्त मतदान द्वारा
1 विधायक (MLA) का मत मूल्य	राज्य की कुल जनसंख्या / (राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य × 1000) [जनसंख्या आधार 1971 की जनगणना]
1 सांसद (MP) का मत मूल्य	सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों के मत मूल्यों का कुल योग / संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित सदस्य
न्यूनतम निर्वाचक कोटा	कोटा = [कुल वैध मतों की संख्या / (1 + 1)] + 1 अर्थात (कुल वैध मतों का 50% + 1 मत)
जमानत राशि एवं प्रस्तावक	₹15,000 भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में देय; 50 प्रस्तावक + 50 अनुमोदक अनिवार्य; कुल वैध मतों का 1/6 न मिलने पर जमानत जब्त

4. राष्ट्रपति पद की अर्हताएं, शपथ, शर्तें एवं उन्मुक्तियां

संवैधानिक प्रावधान	अनुच्छेद	विहित शर्तें, विधिक योग्यताएं एवं संरक्षण
अर्हताएं (Qualifications)	अनु. 58	भारत का नागरिक, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, संघ/राज्य/स्थानीय निकाय में लाभ का पद (Office of Profit) न हो
शपथ (Oath)	अनु. 60	भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा; संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण
पद की शर्तें	अनु. 59	संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा; यदि चुना जाए तो पद ग्रहण से सीट रिक्त मानी जाएगी; वेतन-भत्ते पदावधि में कम नहीं होंगे
विधिक उन्मुक्तियां	अनु. 361	शासकीय कर्तव्यों हेतु न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं; कार्यकाल में कोई आपराधिक मामला या गिरफ्तारी नहीं; व्यक्तिगत कार्य पर 2 माह की पूर्व नोटिस पर सिविल वाद

5. कार्यकाल, पद रिक्ति एवं उत्तराधिकार क्रम (अनुच्छेद 56, 62, 65)

स्थिति / आयाम	संवैधानिक नियम एवं ऐतिहासिक दृष्टांत
सामान्य कार्यकाल	पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक; उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहता है; पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र (अनु. 57)
त्यागपत्र	उपराष्ट्रपति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित पत्र; उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तत्काल लोकसभा अध्यक्ष को देता है
आकस्मिक पद रिक्ति	मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन पर रिक्ति की तिथि से 6 माह के भीतर नवीन चुनाव संपन्न कराना अनिवार्य
कार्यवाहक राष्ट्रपति क्रम	उपराष्ट्रपति -> मुख्य न्यायाधीश (CJI) -> वरिष्ठतम न्यायाधीश; 1969 में डॉ. जाकिर हुसैन की मृत्यु पर वी.वी. गिरि (इस्तीफा) के बाद न्यायमूर्ति (CJI) एम. हिदायतुल्लाह कार्यवाहक बने

6. महाभियोग प्रक्रिया (Impeachment — अनुच्छेद 61)

प्रक्रिया के चरण	संवैधानिक नियम, बहुमत का प्रकार एवं विशेष प्रावधान
एकमात्र संवैधानिक आधार	'संविधान का उल्लंघन / अतिक्रमण' (Violation of the Constitution); संविधान में इस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है
प्रस्ताव की शुरुआत	संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में लाया जा सकता है; संबंधित सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य
पूर्व लिखित नोटिस	राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य; राष्ट्रपति स्वयं या विधिक प्रतिनिधि द्वारा पक्ष रख सकता है

प्रक्रिया के चरण	संवैधानिक नियम, बहुमत का प्रकार एवं विशेष प्रावधान
पारित करने का बहुमत	प्रथम सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत; द्वितीय सदन अन्वेषण करेगा और कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित करे तो पदमुक्त
मतदान में भागीदारी अंतर	संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य महाभियोग में भाग लेते हैं (चुनाव में नहीं); राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते (चुनाव में लेते हैं)

चुनाव विवाद (अनुच्छेद 71): राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े सभी विवादों की जांच और अंतिम फैसला केवल सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) द्वारा किया जाता है। यदि न्यायालय द्वारा चुनाव अवैध घोषित हो जाए, तो उसके द्वारा पद पर रहते हुए पहले किए गए कार्य अवैध नहीं होते।

7. राष्ट्रपति की शक्तियां (कार्यकारी, विधायी एवं वित्तीय)

शक्तियों का वर्गीकरण	अनुच्छेद	प्रमुख अधिकार, संवैधानिक दायित्व एवं वैधानिक कार्य
कार्यकारी शक्तियां	अनु. 53, 77	समस्त कार्यपालिका कार्य राष्ट्रपति के नाम; प्रधानमंत्री व मंत्रियों, राज्यपालों, महान्यायावादी, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG), मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति; SC/ST आयोग गठन
संसद सत्र व संबोधन	अनु. 85, 87	संसद के सत्र को आहूत (Summon), सत्रावसान (Prorogue) एवं लोकसभा को भंग करना; प्रत्येक आम चुनाव के बाद व वर्ष के प्रथम सत्र में दोनों सदनों का संयुक्त अभिभाषण
संसद में मनोनयन	अनु. 80, 331	राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा से 12 सदस्य मनोनीत; (104वें संशोधन 2019 द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो-इंडियन मनोनयन समाप्त)
पूर्व संस्तुति विधेयक	अनु. 3, 110, 117	नए राज्यों के निर्माण/सीमा परिवर्तन विधेयक (अनु. 3), धन विधेयक (अनु. 110) एवं वित्तीय विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में प्रस्तुत
वित्तीय शक्तियां	अनु. 112, 280	वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) संसद में रखवाना; प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन; आकस्मिकता निधि (अनु. 267) से अग्रिम धन स्वीकृति

8. राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां (Veto Powers — अनु. 111 व 200/201)

वीटो का प्रकार	संवैधानिक प्रावधान एवं विधिक प्रभाव	ऐतिहासिक प्रयोग / सीमाएं
आत्यंतिक वीटो (Absolute Veto)	विधेयक पर सहमति पूरी तरह रोक लेना; विधेयक समाप्त हो जाता है; केवल गैर-सरकारी विधेयकों या मंत्रिमंडल के इस्तीफे पर लागू	1954 पेप्सू (PEPSU) विनियोग विधेयक (राजेंद्र प्रसाद); 1991 संसद सदस्य वेतन विधेयक (आर. वेंकटरमण)
निलंबनकारी वीटो (Suspensive Veto)	विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु लौटाना; यदि संसद साधारण बहुमत से पुनः पारित कर दे, तो राष्ट्रपति सहमति देने को बाध्य	धन विधेयक (Money Bill) पर लागू नहीं; 2006 लाभ का पद विधेयक पर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा प्रयोग
पॉकेट वीटो (Pocket Veto)	विधेयक पर न सहमति देना, न अस्वीकार करना और न ही लौटाना; अनिश्चितकाल हेतु लंबित रखना (भारतीय संविधान में समय-सीमा नहीं)	1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक पर ऐतिहासिक प्रयोग
राज्य विधेयकों पर वीटो	अनुच्छेद 200 व 201: राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति सहमति दे सकता है, रोक सकता है या पुनर्विचार हेतु भेज सकता है	राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः पारित किए जाने पर भी राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है

9. अध्यादेश निर्माण शक्ति (Ordinance Power — अनुच्छेद 123)

अध्यादेश के आयाम	संवैधानिक शर्तें, न्यायिक सीमाएं एवं वैधानिक प्रभाव
जारी करने की शर्तें	संसद के दोनों सदन अथवा कोई एक सदन सत्र में न हो; ऐसी तात्कालिक परिस्थितियां विद्यमान हों जिनमें तुरंत कार्रवाई आवश्यक हो
कानूनी प्रभाव व सीमा	संसद द्वारा निर्मित अधिनियम के समान पूर्ण विधिक प्रभाव; केवल उन्हीं विषयों पर जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है; मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकता
संविधान संशोधन निषेध	अध्यादेश द्वारा संविधान का संशोधन (अनुच्छेद 368) किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता
संसदीय अनुमोदन व अवधि	संसद के पुनः संवेद (Reassembly) होने की तिथि से 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों से पारित होना अनिवार्य; अधिकतम संभावित जीवन = 6 माह + 6 सप्ताह
न्यायिक समीक्षा (आर.सी. कूपर वाद 1970)	अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की संतुष्टि की न्यायिक समीक्षा संभव है; यदि शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण हो तो न्यायालय इसे अवैध घोषित कर सकता है
डी.सी. वाधवा वाद (1987)	बिहार राज्य संदर्भ: बिना विधायिका के पटल पर रखे अध्यादेशों का बारंबार पुनः प्रख्यापन (Re-promulgation) असंवैधानिक तथा संविधान पर संस्थागत धोखा है

10. क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 72) — राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल (अनु. 161)

क्षमादान का स्वरूप	अर्थ / परिभाषा	राष्ट्रपति (अनु. 72)	राज्यपाल (अनु. 161)
क्षमा (Pardon)	दंड एवं दोषसिद्धि दोनों को पूर्णतः मिटा देना; व्यक्ति पूर्ववत निर्दोष	पूर्ण अधिकार (मृत्युदंड सहित)	मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता
लघुकरण (Commutation)	दंड के स्वरूप को बदलकर कम कठोर करना (उदा. मृत्युदंड को आजीवन कारावास)	अधिकृत	अधिकृत (मृत्युदंड का लघुकरण कर सकता है)

क्षमादान का स्वरूप	अर्थ / परिभाषा	राष्ट्रपति (अनु. 72)	राज्यपाल (अनु. 161)
परिहार (Remission)	दंड की प्रकृति बदले बिना अवधि कम करना (उदा. 2 वर्ष कठोर कारावास को 1 वर्ष)	अधिकृत	अधिकृत (राज्य विधि के तहत)
विराम (Respite)	विशेष परिस्थिति (गर्भावस्था, बीमारी) में मूल निर्धारित दंड को कम करना	अधिकृत	अधिकृत
प्रविलंबन (Reprieve)	दंड (विशेषकर मृत्युदंड) के निष्पादन पर अस्थायी रोक लगाना	अधिकृत	अधिकृत
सैन्य अदालत (Court Martial)	सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के विरुद्ध क्षमादान शक्ति	पूर्ण अधिकार	कोई अधिकार नहीं

संवैधानिक बाध्यता — शमशेर सिंह वाद (1974): राष्ट्रपति की संतुष्टि का आशय मंत्रिपरिषद की संतुष्टि है। 42वें संशोधन (1976) ने सलाह को अनिवार्य बनाया; 44वें संशोधन (1978) ने राष्ट्रपति को केवल एक बार पुनर्विचार हेतु लौटाने का अधिकार दिया, परंतु पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह मानने हेतु वे बाध्य हैं।

11. उपराष्ट्रपति: संवैधानिक स्थिति एवं शक्तियां (अनुच्छेद 63–71)

संवैधानिक विषय	अनुच्छेद	विहित प्रावधान, निर्वाचन विधि एवं शक्तियां
उपराष्ट्रपति पद	अनु. 63	भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा; देश का द्वितीय सर्वोच्च संवैधानिक पद (पदानुक्रम में राष्ट्रपति के बाद)
पदेन सभापति	अनु. 64	उपराष्ट्रपति राज्य परिषद (राज्यसभा) का पदेन सभापति (Ex-officio Chairman) होगा; वह राज्यसभा के सभापति का वेतन पाता है
कार्यवाहक राष्ट्रपति	अनु. 65	राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पदमुक्ति पर कार्यवाहक राष्ट्रपति (अधिकतम 6 माह); इस दौरान राष्ट्रपति के वेतन-भत्ते प्राप्त होते हैं
निर्वाचन मंडल	अनु. 66(1)	संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य (निर्वाचित + मनोनीत); राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते; आनुपातिक प्रतिनिधित्व
योग्यताएं	अनु. 66(3)	भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु, राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, किसी लाभ के पद पर न हो; 20 प्रस्तावक + 20 अनुमोदक
पदावधि एवं त्यागपत्र	अनु. 67	पद ग्रहण से 5 वर्ष तक; त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है; पद से हटाने हेतु महाभियोग की आवश्यकता नहीं
पद से हटाने की प्रक्रिया	अनु. 67(b)	राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत (प्रभावी बहुमत) द्वारा पारित संकल्प, जिसे लोकसभा सामान्य बहुमत से स्वीकार करे; 14 दिन की पूर्व नोटिस

12. उपराष्ट्रपति: भारत बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका तुलना

तुलनात्मक आधार	भारत का उपराष्ट्रपति	अमेरिकी उप-राष्ट्रपति (US Vice-President)
संवैधानिक प्रेरणा	अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के मॉडल पर आधारित (राज्यसभा/सीनेट का सभापति)	अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद II के तहत सृजित
राष्ट्रपति शक्ति की स्थिति	केवल कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, जब तक कि नया राष्ट्रपति निर्वाचित न हो जाए (अधिकतम 6 माह की सीमा)	राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर शेष पूरे कार्यकाल (Full Remaining Term) हेतु स्थायी राष्ट्रपति बन जाता है
सदन की सदस्यता	संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता; केवल सभापति के रूप में निर्णायक मत (Casting Vote) देता है	सीनेट का पदेन अध्यक्ष होता है और केवल टाई होने पर निर्णायक मत देता है
निर्वाचन की प्रक्रिया	संसद के दोनों सदनों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से पृथक निर्वाचित होता है	राष्ट्रपति के साथ संयुक्त टिकट (Running Mate) पर निर्वाचित होता है

13. प्रधानमंत्री: नियुक्ति, संवैधानिक स्थिति एवं पदावधि (अनु. 74, 75, 78)

संवैधानिक प्रावधान	अनुच्छेद	विधिक प्रक्रिया, शक्तियां एवं संवैधानिक स्थिति
राष्ट्रपति को सहायता व सलाह	अनु. 74	राष्ट्रपति को सलाह हेतु मंत्रिपरिषद जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा; न्यायालय में जांच नहीं हो सकती कि मंत्रियों ने क्या सलाह दी
प्रधानमंत्री की नियुक्ति	अनु. 75(1)	प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा (लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता); त्रिशंकु लोकसभा में राष्ट्रपति स्वविवेक से सबसे बड़े दल के नेता को नियुक्त करता है
मंत्रियों की नियुक्ति	अनु. 75(1)	अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही करता है; विभागों का वितरण भी प्रधानमंत्री तय करता है
मंत्रियों का उत्तरदायित्व	अनु. 75(2)	मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (Pleasure of the President) पद धारण करते हैं (वास्तव में प्रधानमंत्री की इच्छा तक)
सामूहिक उत्तरदायित्व	अनु. 75(3)	मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी; अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा
गैर-सदस्य की नियुक्ति	अनु. 75(5)	कोई भी व्यक्ति बिना संसद सदस्य हुए मंत्री/प्रधानमंत्री बन सकता है, परंतु 6 माह के भीतर किसी भी सदन (LS या RS) का सदस्य बनना अनिवार्य
कर्तव्य एवं संवाद सेतु	अनु. 78	संघ के प्रशासन व विधान संबंधी मंत्रिपरिषदीय निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराना; राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी देना

14. प्रधानमंत्री की बहुआयामी शक्तियां एवं पदेन भूमिकाएं

भूमिका / कार्यक्षेत्र	विशिष्ट शक्तियां, प्रशासनिक नियंत्रण एवं संवैधानिक अधिकार
मंत्रिपरिषद के प्रमुख	मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता, एजेंडा तय करना; मंत्रियों के विभागों का फेरबदल; किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांगना
मंत्रिपरिषद का विघटन	प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या आकस्मिक मृत्यु से संपूर्ण मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित (भंग) हो जाती है (अन्य मंत्री की मृत्यु पर केवल एक सीट रिक्त होती है)
संसद के संबर्ध में	लोकसभा का नेता; राष्ट्रपति को संसद सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने की सिफारिश करना
पदेन अध्यक्ष (Ex-officio)	नीति आयोग (NITI Aayog), राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर-राज्य परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)
संकट प्रबंधक एवं प्रवक्ता	राष्ट्र का प्रमुख नीति-निर्माता, विदेशी मामलों में देश का प्रमुख प्रवक्ता तथा आपातकाल में राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का मुख्य समन्वयक

कार्यवाहक (Caretaker) सरकार व यू.एन.आर. राव वाद (1971): सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लोकसभा भंग होने पर भी मंत्रिपरिषद पद पर बनी रहती है (अनु. 74 अनिवार्य है)। कार्यवाहक सरकार केवल दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालित कर सकती है; वह कोई बड़ा नीतिगत फैसला, वित्तीय दायित्व या नया कानून लागू नहीं कर सकती।

15. केंद्रीय मंत्रिपरिषद — संरचना, आकार एवं उत्तरदायित्व

मंत्रिपरिषद के आयाम	संवैधानिक प्रावधान, कानूनी संशोधन एवं संगठनात्मक ढांचा
मंत्रियों की 3 श्रेणियां	1. कैबिनेट मंत्री (प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी व नीति निर्माता), 2. राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार अथवा कैबिनेट मंत्री से संबद्ध), 3. उप-मंत्री (प्रशासनिक कार्यों में सहायता)
आकार की संवैधानिक सीमा	91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003: मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती
सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत	अनुच्छेद 75(3): मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी; वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं; यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करे तो सभी को त्यागपत्र देना होगा
मंत्रिमंडल की एकजुटता	यदि कोई मंत्री कैबिनेट के निर्णय से असहमत हो, तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है (उदा. 1951 में डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पर तथा सी.डी. देशमुख ने राज्य पुनर्गठन पर इसीफा दिया)
सदन में अधिकार (अनु. 88)	प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन, संयुक्त बैठक व संसदीय समिति में बोलने व भाग लेने का अधिकार है, परंतु मतदान केवल उसी सदन में कर सकता है जिसका वह सदस्य है

16. मंत्रिमंडल (कैबिनेट) बनाम मंत्रिपरिषद एवं 'किचन कैबिनेट'

तुलनात्मक लक्षण	मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)	मंत्रिमंडल (Cabinet / कैबिनेट)
संवैधानिक उल्लेख	मूल संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में विस्तृत संवैधानिक निकाय	मूल संविधान में नहीं था; 44वें संशोधन 1978 द्वारा केवल अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया
निकाय का आकार	व्यापक निकाय (60 से 70 मंत्री; सभी तीन श्रेणियों के सदस्य शामिल)	छोटा व संकुचित निकाय (15 से 20 अत्यंत वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री)
कार्यों की प्रकृति	नीति निर्धारण हेतु सामूहिक रूप से बैठक नहीं करती; शक्तियां सैद्धांतिक	सरकार की सर्वोच्च नीति-निर्माता संस्था; साप्ताहिक बैठक कर सभी नीतिगत निर्णय लेती है
निर्णयों का क्रियान्वयन	मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों को लागू करने वाली संस्था	मंत्रिपरिषद के कार्यों का निर्देशन, नियंत्रण व निगरानी करती है

अवधारणा: किचन कैबिनेट (Kitchen Cabinet / आंतरिक मंत्रिमंडल)	विधिक व व्यावहारिक स्थिति
स्वरूप एवं संरचना	प्रधानमंत्री और उनके 2 से 4 अत्यंत विश्वासपात्र मित्रों/सहयोगियों का अनौपचारिक लघु समूह (उदा. इंदिरा गांधी काल में 'किचन कैबिनेट' अत्यंत शक्तिशाली था)
संवैधानिक वैधता	पूरी तरह से गैर-संवैधानिक व अनौपचारिक; किसी विधिक नियम या संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है; निर्णय प्रक्रिया में अत्यधिक गोपनीयता व गतिशीलता लाता है

17. मंत्रिमंडल समितियां (Cabinet Committees)

समिति के पहलू	संवैधानिक / कार्यपालिका व्यवस्था एवं प्रमुख कार्य
प्रकृति व वैधानिक आधार	गैर-संवैधानिक (अतिरिक्त-संवैधानिक); भारत सरकार कार्य संचालन नियमावली (Rules of Business 1961) के तहत प्रधानमंत्री द्वारा गठित
प्रकार	2 प्रकार की होती हैं: 1. स्थायी समितियां (Standing Committees), 2. तदर्थ समितियां (Ad-hoc Committees – विशेष समस्याओं हेतु अस्थायी)
राजनीतिक मामलों की समिति	अध्यक्षता: प्रधानमंत्री; 'सुपर कैबिनेट (Super Cabinet)' कहलाती है; देश के सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक व आंतरिक/बाह्य मामलों पर निर्णय लेती है
आर्थिक मामलों की समिति (CCEA)	अध्यक्षता: प्रधानमंत्री; आर्थिक क्षेत्र की दिशा तय करती है, समर्थन मूल्य (MSP) व प्रमुख निवेशों को मंजूरी देती है
नियुक्ति समिति (ACC)	अध्यक्षता: प्रधानमंत्री (गृह मंत्री सदस्य); केंद्रीय सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों, सरकारी बैंकों (PSB) के प्रमुखों व रक्षा बलों के उच्च पदों पर नियुक्ति
संसदीय मामलों की समिति	अध्यक्षता: रक्षा मंत्री / गृह मंत्री (प्रधानमंत्री इसके सदस्य नहीं होते); संसद में सरकारी कार्यों की प्रगति तय करती है

18. भारत का महान्यायवादी (Attorney General — अनुच्छेद 76, 88)

संवैधानिक आयाम	विधिक प्रावधान, योग्यताएं, अधिकार एवं सीमाएं
संवैधानिक स्थिति	अनुच्छेद 76: देश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी (Highest Law Officer of India); केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार
नियुक्ति एवं योग्यता	राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति; योग्यता: सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता (5 वर्ष HC जज या 10 वर्ष HC वकील या पारंगत विधिवेत्ता)
पदावधि एवं वेतन	संविधान में निश्चित कार्यकाल नहीं; राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है; वेतन-भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित
संसदीय विशेषाधिकार (अनु. 88)	संसद के दोनों सदनों, संयुक्त बैठक व किसी भी संसदीय समिति में बोलने व कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार; परंतु मतदान (Vote) का अधिकार नहीं
अदालतों में अधिकार	भारत के राज्यक्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार (Right of Audience); प्रथम स्थान का अधिकार
कार्य एवं सीमाएं	सरकार के विरुद्ध कानूनी सलाह या पैरवी नहीं कर सकता; भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त का बचाव नहीं कर सकता; निजी वकालत पर प्रतिबंध नहीं

19. संघ कार्यपालिका: त्वरित परीक्षा संदर्भ तालिका (Quick Matrix)

संवैधानिक पद	अनुच्छेद	नियुक्ति / चुनाव	शपथ	त्यागपत्र	आयु
राष्ट्रपति	अनु. 52, 54	संसद + विधानसभा निर्वाचित	मुख्य न्यायाधीश	उपराष्ट्रपति	35 वर्ष
उपराष्ट्रपति	अनु. 63, 66	संसद के दोनों सदन (सभी)	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति	35 वर्ष
प्रधानमंत्री	अनु. 74, 75	राष्ट्रपति द्वारा (LS बहुमत)	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति	25 (LS) / 30 (RS)
महान्यायवादी	अनु. 76	राष्ट्रपति द्वारा (SC जज योग्यता)	संवैधानिक	राष्ट्रपति	सीमा नहीं

संसदीय संप्रभुता बनाम कार्यपालिका संतुलन: भारत में कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। वास्तविक शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद में निहित है, जबकि राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक व गणराज्य के प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं।